—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 114 / 2023

उनवान

हेमराज पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी ग्राम सुरजपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ
2. छीतर पुत्र रामनाथ
3. दाखा पुत्री रामनाथ
4. रामनिवास पुत्र जगन्नाथ
5. रामेश्वरी पुत्र जगन्नाथ
6. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ
7. हंसराज पुत्र रामनाथ
8. श्योराज पुत्र रामदेव पौत्र कल्याण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुरजपुरा, नसीराबाद,
9. उप पंजीयक, नसीराबाद,
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 8 अनुपस्थित, 9 व 10 जरियें राज. पैरोकार

11. छोटी पत्नी प्रभु
12. देवकरण पुत्र प्रभु
13. चम्पा पुत्री प्रभु
14. शारदा पुत्री प्रभु
15. रामस्वरूप पुत्र छगना
16. भागवत पत्नी रामेश्वर
17. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर
18. सरोज पुत्री रामेश्वर
19. रेखा पुत्री रामेश्वर
20. सलोनी पुत्री रामेश्वर
21. कमलेश पुत्री रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुरजपुरा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 11 से 21 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 16.10.24

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुरजपुरा के वर्किंग खसरा नम्बर 384 रकबा 1–3–10 के हाल खसरा नम्बर 936 रकबा 0.19 की आराजी वादी के पिता ने जरियें विकय पत्र दिनांक 14.05.1980 को कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम सहवन से दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 8 के पिता रामदेव पुत्र कल्याण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज से कय की थी। जिसका अंकन नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 09.09.1977 से अंकन हो रखा है। उसके उपरान्त वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय की किन्तु भूमि सहवन से प्रतिवादी संख्या 8 के विकेता के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 11 से 21 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सुरजपुरा के हाल खसरा नम्बर 936 रकबा 0.19 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की खातेदारी की है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 384 रकबा 1–3–10 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 75 मं तत्कालीन खातेदार रामनाथ, जगन्नाथ पि. ज्वारा के नाम खातेदारी दर्ज थी। रामनाथ, जगन्नाथ पि. ज्वारा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 7 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज रामनाथ, जगन्नाथ पि. ज्वारा ने वंर्किग खसरा नम्बर 384 रकबा 1–3–10 की आराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र रामदेव पुत्र कल्याण को विकय कर दी। उक्त विकय की पालना में ततकालीन वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 09.09.1977 केता रामदेव पुत्र कल्याण के नाम दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 रामदेव पुत्र कल्याण का वारिस है। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 25 का अमल दरामद करने से आराजी मुतनाजा का खातेदार केता रामदेव पुत्र कल्याण हो गया था। रामदेव पुत्र कल्याण ने आराजी मुतनाजा जरियें पंजीकृत विकय पत्र प्रभु, रामस्वरूप, रामेश्वर पुत्रगण छगना जाति जाट को विंकय कर दी। उक्त विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में केतागण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दिया गया। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार से जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय की थी। पंजीकृत विकय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विकेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज [illegible] होता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के आराजी मुतनाज पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम सुरजपुरा के हाल खसरा नम्बर 936 रकबा 0.19 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 11 से 21 को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:23 IST
Reason: SelfAttested

—3

आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:23 IST
Reason: SelfAttested